



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
PANCHDEEP BHAWAN: C. I. G. ROAD: NEW DELHI-110 002

Website - www.esic.nic.in

(011) 23234092

File No. V-11/14/2/2010-PG

Dated: 07/03/2014

## Circular

Sub: Holding of Suvidha Samagam every month at Regional Office / Sub-Regional Offices/ Divisional Office/ Branch Office level and at Some ESI Hospitals.

Please refer to this office letter no. V-11/14/2/2010-PG dated 16.01.2013 on the subject cited above wherein instructions for holding Suvidha Samagam on every second Wednesday (afternoon) each month at Regional Office/ Sub-Regional Office/ Divisional Office and on second Friday of each month at branch office level were issued. The matter of holding Suvidha samagam was discussed in the recent meeting of the Standing committee held on 22.01.2014 and it was desired that the M.S of ESIC/ESI Hospitals must ensure their presence in the Samagam as per instruction. Similarly the Director of ESI scheme also participate in the Samagam. Their presence not only ensure the speedy disposal of grievances but they will be knowing the ground reality prevailing in the field.

This issues with the approval of the Insurance Commissioner (PG).

Yours faithfully


Encl. as above.

sd/-  
(Krishna Chandran.E)  
Dy. Director (PG)

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबन्धन.....  
Website Contents Management.....  
दफ्तर सं./ Diary No. 342.....  
दिनांक / Date. 12/3/2014.....

Copy to:-

1. All Regional Directors/ Directors/ Joint Director I/c.
2. All members of the corporation. (to all non official member of corporation).
3. SSMC/SMC for facilitating the participation of Medical Refree & IMO In- charge in the above said meeting.
4. Medical Superintendent, ESI Hospital \_\_\_\_\_ for information necessary action.
5. Commissioner (P&A) for undertaking necessary publicity.
6. Corporate Cell w.r.t. their U.O. Note No. V-12(15)-2/2013-Corp. Cell dated 04.02.2014 regarding action taken report in r/o. para pertaining to Suvidha Samagam(page 6 & page 8(i)) of minutes of meeting dated 22.01.2014.
7. Website contents Manager with request to upload this circular on ESIC website.
8. Rajbhasha Shakha for Hindi translation.

  
7.2.14  
Dy. Director (PG)



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली

वेबसाइट: www.esic.nic.in

दूरभाष: 011- 23234092

फाइल संख्या: वी-11/14/2/2010-लो.शि

दिनांक 7 मार्च, 2014

परिपत्र

**विषय** क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/शाखा कार्यालय स्तर पर तथा कुछ क.रा.बी. अस्पतालों में प्रत्येक माह सुविधा समागम आयोजित करने के संबंध में ।

उपर्युक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के दिनांक 16.01.2013 के पत्र संख्या वी-11/14/2/2010-लोक शिकायत का संदर्भ लें जिसमें क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय में प्रति माह के प्रत्येक दूसरे बुधवार (अपराह्न) तथा शाखा कार्यालय स्तर पर प्रति माह के दूसरे शुक्रवार को सुविधा समागम आयोजित करने संबंधी अनुदेश जारी किए गए थे । स्थायी समिति की दिनांक 22.01.2014 को हुई हाल की बैठक में सुविधा समागम के आयोजन के मसले पर चर्चा की गई । बैठक में यह इच्छा प्रकट की गई कि क.रा.बी.निगम/क.रा.बी. अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक निदेशानुसार समागम में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करवाएं । इसी प्रकार, क.रा.बी.योजना के निदेशक भी समागम में भाग लें । उनकी उपस्थिति से न केवल शिकायतों का शीघ्रता से निपटान होगा अपितु वे उस क्षेत्र की जमीनी हकीकत से भी अवगत होंगे ।

इसे बीमा आयुक्त(लोक शिकायत) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

भवदीय,

संलग्नक: यथोपरि ।

(कृष्ण चन्द्रन ई.)  
उप निदेशक(लो.शि.)

प्रतिलिपि:-

- 1- सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक ।
- 2- क.रा.बी.निगम के सभी सदस्य/(निगम के सभी गैर सरकारी सदस्यों को) ।
- 3- वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त को उपर्युक्त बैठक में चिकित्सा निर्देशी एवं प्रभारी बीमा चिकित्सा अधिकारी की भागीदारी सुगम बनाने के लिए ।
- 4- चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.अस्पताल.....सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- 5- आयुक्त(का.एवं प्रशा.) को आवश्यक प्रचार करने हेतु ।
- 6- निगमित कक्ष के दिनांक 04.02.2014 की अनौपचारिक टिप्पणी संख्या वी-12(15)-2/2013-निगमित कक्ष के साथ संलग्न दिनांक 22.01.2014 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के सुविधा समागम से संबंधित पैरा(पृष्ठ 6 एवं पृष्ठ 8(ii)) पर की गई कार्रवाई के संबंध में ।
- 7- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

कृष्ण चन्द्रन ई.  
9.3.14  
उप निदेशक(लो.शि.)